संचिका संख्या :– BRRDA(HQ)MMGSY(New)-200/12

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
संकल्प

विषय: राज्य के 11 IAP जिलों, यथा, अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, मुंगेर, नवादा, रोहतास, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चम्पारण में शेष 27 Non-IAP जिलों की भाँति ''मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना'' आरंभ करने के संबंध में।

विभागीय संकल्प संख्या–218 दिनांक–28.01.13 के आलोक में 250 या इससे अधिक की आबादी वाले सभी अनजुड़ें बसावटों को चरणबद्ध तरीके से बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु **27 Non-IAP** जिलों में **''मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना''** लागू है। राज्य कोर नेटवर्क के आधार पर **11 IAP** जिलों में भी **27 Non-IAP** जिलों की भाँति **''मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना''** अन्तर्गत ग्रामीण पथों का निर्माण/उन्नयन कराया जाना है, ताकि पूरे राज्य में ग्रामीण जनता को कृषि उत्पादों के उचित मूल्य के अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाजार की अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके।

2. राज्य में वर्त्तमान आकलन के अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत कुल 68,727 कि0मी0 ग्रामीण पथों का निर्माण कराया जाना है, जिसमें सितम्बर–2017 तक कुल 23,074 कि0मी0 पथों का निर्माण कराया जा चुका है एवं शेष 45,653 कि0मी0 पथ निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित है। 250 या इससे अधिक की आबादी वाले अनजुड़े बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने के लिए 11–IAP जिलों में 8847 अनजुड़ें बसावटों के लिए लगभग 8926 कि०मी० ग्रामीण पथों का निर्माण **''मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना''** के तहत किया जाएगा। वर्तमान दरों पर इन पथों के निर्माण पर ₹8200.00 करोड़ (आठ हजार दो सौ करोड़) रूपये व्यय की संभावना है।

3. योजना शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के घटक सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत प्राप्त बजटीय उपबंध के आलोक में ही 11 IAP जिलों के योजनाओं का व्यय किया जायेगा।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त ''**राज्य के 11 IAP जिलों, यथा, अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, मुंगेर, नवादा, रोहतास, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चम्पारण में शेष 27 Non-IAP जिलों की भाँति मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना**'' आरम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

7/11/17

आदेश :—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण पत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः— BRRDA(HQ)MMGSY(New)-200/12 - 223 /पटना, दिनांक :— 8.11.17

प्रतिलिपि :— महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः— BRRDA(HQ)MMGSY(New)-200/12 - 223 /पटना, दिनांक :— 8.11.17

प्रतिलिपिः—अधीक्षक, राज्यकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी पाँच सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः— BRRDA(HQ)MMGSY(New)-200/12 - 223 /पटना, दिनांक :— 8.11.17

प्रतिलिपिः—मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– BRRDA(HQ)MMGSY(New)-200/12 – 223 /पटना, दिनांक :– 8.11.17

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग तथा मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/11/17

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– BRRDA(HQ)MMGSY(New)-200/12 - 223 /पटना, दिनांक :– 8.11.17

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ उपस्थापित करने हेतु प्रेषित।

7/11/17

सरकार के सचिव